मराठा आरक्षण आंदोलन

मुंबई का कारोबारी हब अस्त-व्यस्त

यातायात जाम और कर्मचारियों की कम उपस्थिति के कारण दक्षिणी मुंबई में 35-40 प्रतिशत तक वाणिज्यिक गतिविधियां प्रभावित

प्राची पिसाल
मुंबई, 1 सितंबर

मुंबई का बेहद खास इलाका एवं देश की नामी निजी कंपनियों का प्रमुख ठिकाना दक्षिण मुंबई मराठा आरक्षण के लिए जारी आंदोलन के कारण अस्त-व्यस्त हो गया है। मराठा आरक्षण की मांग के समर्थन में मनोज जरांगे पाटिल के साथ सैंकड़ों लोग सड़कों पर हैं। इससे व्यापक स्तर पर कामकाज प्रभावित हो रहा है। कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को हालात सामान्य होने तक घर से काम करने के लिए कहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारतीय रिज़र्व बैंक, बंबई स्टॉक एक्सचेंज, टाटा समूह, भारतीय स्टेट बैंक आदि बड़े सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों-इकाइयों का मुख्यालय दक्षिण मुंबई में है।

ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और एमवीआईआरडीसी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, मुंबई के अध्यक्ष विजय कलंत्री ने कहा कि यातायात जाम और कर्मचारियों की कम उपस्थिति के कारण इस क्षेत्र में 35-40 प्रतिशत तक वाणिज्यिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। कलंत्री ने कहा कि बैंकों में भी कामकाज पर असर पड़ा है।

भारतीय कंपनियों के अलावा मैकिंजी ऐंड कंपनी, ब्लैकस्टोन ग्रुप, एचएसबीसी इंडिया, डीपी वर्ल्ड, वारबर्ग पिंकस, वेल्स फार्गो जैसी कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कार्यालय भी दक्षिण मुंबई, खासकर नरीमन पॉइंट और फोर्ट में आंदोलन के कारण मुश्किल स्थिति का सामना कर रहे हैं।

कलंत्री ने कहा, 'सभी वाणिज्यिक, बैंकिंग लेनदेन दक्षिणी मुंबई में होते हैं। यहां स्थित प्रतिष्ठानों के कुछ कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ घर से नहीं किया जा सकता। इसलिए व्यापार-वाणिज्यिक लेनदेन पर असर पड़ रहा है।'

दुनिया के शीर्ष लग्जरी खुदरा ब्रांड, विशेष रूप से फैशन स्टोर भी दक्षिणी मुंबई में ही हैं। सब्यसाची, पर्निया पॉप-अप शॉप, ले मिल, ओगन, क्लोव द स्टोर आदि ब्रांड स्टोर नरीमन पॉइंट, फोर्ट और कोलाबा में हैं। इंडियन होटल्स कंपनी के द ताज महल पैलेस, ओबेरॉय ग्रुप के ट्राइडेंट होटल और द ओबेरॉय और ग्रैविस हॉस्पिटैलिटी के इंटरकॉन्टिनेंटल होटल आदि भी इसी क्षेत्र में हैं। आरक्षण आंदोलन 43 वर्षीय जरांगे की भूख हड़ताल के साथ 29 अगस्त को दक्षिण मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) स्टेशन के पास 25 एकड़ में फैले आजाद मैदान में शुरू हुआ। जरांगे अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के तहत मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं। हालांकि, उनके समर्थकों ने शुक्रवार से दक्षिण मुंबई के आसपास यातायात रोक दिया, जिससे कार्यालय जाने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

सरकार ने मराठा आरक्षण पर एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति का गठन किया है, जिसका नेतृत्व महाराष्ट्र सरकार के जल संसाधन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल कर रहे हैं। इस बीच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मुद्दे को हल करने के लिए कानून के मुताबिक विकल्प तलाशने का दावा किया है। जरांगे समर्थक आजाद मैदान और सीएसएमटी स्टेशन के आसपास के क्षेत्रों में आंदोलन कर रहे हैं। इससे यातायात की गति काफी धीमी हो गई है। साथ ही सीएसएमटी पर स्थानीय रेलगाड़ियों एवं बेस्ट बस के संचालन पर भी असर पड़ा है।

सीएसएमटी स्टेशन पर ट्रेन रोक कर प्रदर्शन करते समर्थक

ट्रैफिक पुलिस ने सीएसएमटी और बृहन्मुंबई महानगरपालिका की ओर जाने वाली सभी सड़कों के साथ-साथ मंत्रालय से मरीन ड्राइव तक का रास्ता भी यातायात के लिए बंद कर दिया है। जेजे फ्लाईओवर से दक्षिण मुंबई की ओर जाने वाले वाहनों को पुलिस आयुक्त कार्यालय के पास मेट्रो जंक्शन या चर्चगेट स्टेशन की ओर भेजा जा रहा है। सोमवार को जरांगे के आमरण अनशन को चार दिन हो गए। उन्होंने अपनी मांगें पूरी होने तक मुंबई नहीं छोड़ने का ऐलान किया है। मराठा समुदाय की आरक्षण की मांग और इसके लिए आंदोलन का लगभग 3-4 दशकों का लंबा इतिहास है। मौजूदा आंदोलन ने सितंबर 2023 में गति पकड़ी जब जरांगे ने आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त मराठवाड़ा क्षेत्र के जालना के अंतरवाली सराटी में पुलिस ने तत्कालीन उप-मुख्यमंत्री फडणवीस के आदेश पर मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान उनके समर्थकों पर लाठी बरसाई थी।

शर्तों के अनुरूप नहीं आरक्षण का आंदोलन : अदालत

इस बीच, बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार शाम को कहा कि आंदोलन ने शहर को ठप कर दिया है। इसे देखते हुए कहा जा सकता है कि यह आंदोलन न तो शांतिपूर्ण है और न ही शर्तों के अनुरूप। अदालत ने सामान्य स्थिति बहाल करने का आग्रह किया और जरंगे और उनके समर्थकों को मंगलवार दोपहर तक सभी सड़कों को खाली करने का अवसर दिया। मामले की सुनवाई मंगलवार को दोबारा होगी।

NSE
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
रजिस्टर्ड ऑफिस: एक्सचेंज प्लाज़ा, सी-१, ब्लॉक जी, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुंबई - ४०० ०५१, महाराष्ट्र, इंडिया

सार्वजनिक सूचना

सेबी (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, २०२१ के विनियमन ३२ (५) (ए) के संदर्भ में कंपनियों के इक्विटी शेयरों की अनिवार्य असूचीबद्धता के लिए सार्वजनिक सूचना

यह सूचित किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, २०२१ ("असूचीबद्धता विनियम) के विनियमन ३२ (५) (ए), प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, १९५६ की धारा २१ ए, प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियम, १९५७ ("एक्सचेंज") के नियम २१ (२) (बी) के अनुसार, निम्नलिखित कंपनी के इक्विटी शेयरों को **०५ अगस्त, २०२५** से असूचीबद्ध कर दिया गया था, क्योंकि इसे बीएसई लिमिटेड द्वारा अनिवार्य रूप से असूचीबद्ध कर दिया गया है।

कंपनी को बीएसई द्वारा अनिवार्य रूप से असूचीबद्ध कर दिया गया है।

कंपनियों का नाम और पंजीकृत कार्यालय का पता*	उचित मूल्य (₹ प्रति शेयर)	प्रवर्तकों का नाम	प्रवर्तकों का पता*
मनपसंद बेवरेजेस लिमिटेड १७६८ एवं १७७४ पटकी - १ मंजूसर गांव सावली रोड, वडोदरा, गुजरात— ३९१७७५।	३५.७७ /-	धीरेन्द्र हंसराज सिंह	४०२ डब्ल्यू रियो विस्टा, गजानंद कॉम्प्लेक्स के पीछे, ट्यूब कंपनी के सामने, ओल्ड पाड्रा रोड, वडोदरा गुजरात- ३९००२०, भारत। और १३ संगीत सोसायटी, डीमार्ट के पास, वासना रोड, वडोदरा, गुजरात-३९०००७, भारत।

* पते एक्सचेंज के रिकॉर्ड के अनुसार उपलब्ध हैं।

टिप्पणियाँ:

सेबी (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, २०२१ के अनुसार, अनिवार्य असूचीबद्धता के निम्नलिखित परिणाम होंगे:

क. असूचीबद्ध की गई कंपनी, इसके पूर्णकालिक निदेशक, प्रतिभूति कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति (एक या एक से अधिक), इसके प्रवर्तक, और इनमें से किसी के द्वारा प्रवर्तित की गई कंपनियां, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिभूति बाजार तक नहीं पहुंच प्राप्त नहीं बनाएंगी या किसी इक्विटी शेयर को सूचीबद्ध करने की मांग नहीं करेंगी या ऐसी असूचीबद्धता की तारीख से दस साल की अवधि के लिए प्रतिभूति बाजार में मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं करेंगी।

ख. ऐसी कंपनी के मामले में जिसका उचित मूल्य धनात्मक है -
(i) ऐसी कंपनी और डिपॉजिटरी प्रवर्तक/प्रवर्तकों के समूह द्वारा रखे गए किसी भी इक्विटी शेयर और लाभांश, अधिकार, बोनस शेयर, विभाजन आदि जैसे कॉर्पोरेट लाभों का बिक्री, गिरवी आदि के माध्यम से हस्तांतरण नहीं करेंगे, प्रवर्तकों/प्रवर्तक समूह द्वारा रखे गए सभी इक्विटी शेयरों पर तब तक रोक रहेगी, जब तक कि ऐसी कंपनी के प्रवर्तक इन विनियमों के विनियम ३३ के उप-विनियम (४) के अनुपालन में सार्वजनिक शेयरधारकों को बाहर निकलने का विकल्प प्रदान नहीं करते हैं, जैसा कि संबंधित मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रमाणित किया गया है;

(ii) अनिवार्य रूप से असूचीबद्ध की गई कंपनी के प्रवर्तक, पूर्णकालिक निदेशक, और प्रतिभूति कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति भी तब तक किसी सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक बनने के लिए पात्र नहीं होंगे, जब तक कि खंड (ए) में उल्लिखित निकास का विकल्प प्रदान नहीं किया जाता है।

ग. सार्वजनिक शेयरधारकों को निकास देने का दायित्व कंपनी के प्रवर्तकों पर है।

घ.असूचीबद्धता विनियमों के विनियमन ३३ (४) के अनुसार, कंपनी के प्रवर्तक (कों) को सार्वजनिक शेयरधारकों से उनके शेयरों को बनाए रखने के लिए सार्वजनिक शेयरधारकों के विकल्प के अधीन, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से असूचीबद्धता की तारीख के तीन महीने के भीतर, मूल्यांकनकर्ता द्वारा निर्धारित मूल्य का भुगतान करके असूचीबद्ध किए गए इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करना होगा।

ङ. असूचीबद्धता विनियमों के विनियमन ३३ (५) के अनुसार, यदि विनियमन ३३ के उप-विनियमन (३) के अंतर्गत निर्दिष्ट समय के भीतर, सभी शेयरधारकों को विनियमन ३३ के उप-विनियमन (४) के अंतर्गत देय मूल्य का सभी शेयरधारकों को भुगतान नहीं किया जाता है, तो प्रवर्तक उन सभी शेयरधारकों को दस प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो अनिवार्य असूचीबद्धता ऑफ़र के अंतर्गत अपने शेयर प्रस्तुत करते हैं।

किसी भी पूछताछ के लिए असूचीबद्धता कमेटी, लिस्टिंग डिपार्टमेंट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड 'एक्सचेंज प्लाज़ा', सी-१, ब्लॉक-जी, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई ४०० ०५१ से संपर्क नंबर: +९१ २२ २६५९८१०० (३२०१४), ई-मेल: vgandhi@nse.co.in, delisting@nse.co.in के साथ प्रतिलिपि dl-insp-enf-delisting@nse.co.in पर संपर्क किया जा सकता है।

प्रश्नों को अनिवार्य रूप से उपर्युक्त ईमेल पते पर ईमेल किया जाना चाहिए। किसी भी अनाम प्रश्न को वैध नहीं माना जाएगा।

स्थान: मुंबई
दिनांक: सितंबर २, २०२५

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड के लिए और उसकी ओर से

Nifty50

Navigate markets with focused insight.

Get daily sector trends, market movers, and sharp insights — *every day* with **The Compass** in Business Standard.

To book your copy, SMS **reachbs** to **57575** or email **order@bsmail.in**

Business Standard
Insight Out

NSE
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
रजिस्टर्ड ऑफिस: एक्सचेंज प्लाज़ा, सी-१, ब्लॉक जी, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुंबई - ४०० ०५१, महाराष्ट्र, इंडिया

सार्वजनिक सूचना

सेबी (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, २०२१ के विनियमन ३२ (५) (ए) के संदर्भ में कंपनियों के इक्विटी शेयरों की अनिवार्य असूचीबद्धता के लिए सार्वजनिक सूचना

यह सूचित किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, २०२१ ("असूचीबद्धता विनियम) के विनियमन ३२ (५) (ए), प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, १९५६ की धारा २१ ए, प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियम, १९५७, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड ("एक्सचेंज") के उप-नियमों और विनियमों के अनुसार, निम्नलिखित कंपनी के इक्विटी शेयरों को **२५ जुलाई, २०२५** से असूचीबद्ध कर दिया गया था।

गैर-अनुपालन के कारण अनिवार्य रूप से असूचीबद्ध कर दी गई कंपनियां:

कंपनियों का नाम और पंजीकृत कार्यालय का पता*	उचित मूल्य (₹ प्रति शेयर)	प्रवर्तकों का नाम	प्रवर्तकों का पता*
पेंटा गोल्ड लिमिटेड २२२४, मानेक चौक, पुराने शेयर बाज़ार के सामने, अहमदाबाद, गुजरात - ३८०००१।	१८.१९/-	सुलोचना एम श्रॉफ़	७०१ अंजली बिल्डिंग, छत्रपति शिवाजी मार्ग, वकोला ब्रिज मुंबई, महाराष्ट्र- ४०००५५
		वत्सल धर्मेंद्र श्रॉफ	२०३ मोरेश्वर सीएचएस लिमिटेड, परांजपे स्कीम बी, हनुमान रोड से दूर, मुंबई, महाराष्ट्र — ४०००५७।
		पिनाकिन मधुसूदन श्रॉफ	०७१२७ सलोखा सीएचएस लिमिटेड, चैतन्य नगर सी, वकोला ब्रिज, सांताक्रूज़ ईस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र-४०००५५।
		धर्मेंद्र एम. श्रॉफ	२०३ मोरेश्वर सीएचएस लिमिटेड, परांजपे स्कीम बी, हनुमान रोड से दूर, मुंबई, महाराष्ट्र- — ४०००५७।
		केतन मधुसूदन श्रॉफ	८, अंजली बिल्डिंग, छत्रपति शिवाजी मार्ग, वकोला ब्रिज, सांताक्रूज़ ईस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र — ४०००५५। और ७०१ अंजली बिल्डिंग, छत्रपति शिवाजी मार्ग, वकोला ब्रिज, सांताक्रूज़ ईस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र — ४०००५५।
		अनीता डी श्रॉफ	हनुमान रोड, दत्ता मंदिर के बगल में, विले पार्ले (पूर्व) मुंबई, महाराष्ट्र— ४०००५७। और २०३ मोरेश्वर सीएचएस लिमिटेड, परांजपे स्कीम बी, हनुमान रोड मुंबई के बाहर, महाराष्ट्र— ४०००५७।
		दीप्ति केतन श्रॉफ	७०१, अंजली बिल्डिंग, सी. एस. मार्ग, वकोला ब्रिज, सांताक्रूज़ ईस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र — ४०००५५। और ६ महावीर पैलेस, २५० हिंगवाला लेन, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र—४०००७७।
एस. एस. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स लिमिटेड फ्लैट नं.:१५, जब्बार बिल्डिंग बेगमपेट, हैदराबाद, तेलंगाना -५०००१६।	३३.५०/-	सत्यनारायणा सुन्दरा	फ्लैट नंबर - बी १०२ १ ११ २५/ए विंडसर अपार्टमेंट, बेगमपेट, शॉपर्स स्टॉप हैदराबाद के पीछे, तेलंगाना -- ५०००१६।
		शेषागिरी राव पल्ले	फ्लैट नंबर - B १०२ १-११-२५१/A विंडसर अपार्टमेंट, बेगमपेट, शॉपर्स स्टॉप के पीछे, हैदराबाद, तेलंगाना— ५०००१६।

* पते एक्सचेंज के रिकॉर्ड के अनुसार उपलब्ध हैं।

टिप्पणियाँ:

सेबी (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, २०२१ के अनुसार, अनिवार्य असूचीबद्धता के निम्नलिखित परिणाम होंगे:

क. असूचीबद्ध की गई कंपनी, इसके पूर्णकालिक निदेशक, प्रतिभूति कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति (एक या एक से अधिक), इसके प्रवर्तक, और इनमें से किसी के द्वारा प्रवर्तित की गई कंपनियां, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिभूति बाजार तक नहीं पहुंच प्राप्त नहीं बनाएंगी या किसी इक्विटी शेयर को सूचीबद्धकरने की मांग नहीं करेंगी या ऐसी असूचीबद्धता की तारीख से दस साल की अवधि के लिए प्रतिभूति बाजार में मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं करेंगी।

ख. ऐसी कंपनी के मामले में जिसका उचित मूल्य धनात्मक है -

(i) ऐसी कंपनी और डिपॉजिटरी प्रवर्तक /प्रवर्तकों के समूह द्वारा रखे गए किसी भी इक्विटी शेयर और लाभांश, अधिकार, बोनस शेयर, विभाजन आदि जैसे कॉर्पोरेट लाभों का बिक्री, गिरवी आदि के माध्यम से हस्तांतरण नहीं करेंगे, प्रवर्तकों/प्रवर्तक समूह द्वारा रखे गए सभी इक्विटी शेयरों पर तब तक रोक रहेगी, जब तक कि ऐसी कंपनी के प्रवर्तक इन विनियमों के विनियम ३३ के उप-विनियम (४) के अनुपालन में सार्वजनिक शेयरधारकों को बाहर निकलने का विकल्प प्रदान नहीं करते हैं, जैसा कि संबंधित मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रमाणित किया गया है;

(ii) अनिवार्य रूप से असूचीबद्ध की गई कंपनी के प्रवर्तक, पूर्णकालिक निदेशक, और प्रतिभूति कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति भी तब तक किसी सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक बनने के लिए पात्र नहीं होंगे, जब तक कि खंड (ए) में उल्लिखित निकास का विकल्प प्रदान नहीं किया जाता है।

ग. सार्वजनिक शेयरधारकों को निकास देने का दायित्व कंपनी के प्रवर्तकों पर है।

घ. असूचीबद्धता विनियमों के विनियमन ३३ (४) के अनुसार, कंपनी के प्रवर्तक(कों) को सार्वजनिक शेयरधारकों से उनके शेयरों को बनाए रखने के लिए सार्वजनिक शेयरधारकों के विकल्प के अधीन, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से असूचीबद्धता की तारीख के तीन महीने के भीतर, मूल्यांकनकर्ता द्वारा निर्धारित मूल्य का भुगतान करके असूचीबद्ध किए गए इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करना होगा।

ङ. असूचीबद्धता विनियमों के विनियमन ३३ (५) के अनुसार, यदि विनियमन ३३ के उप-विनियमन (३) के अंतर्गत निर्दिष्ट समय के भीतर, सभी शेयरधारकों को विनियमन ३३ के उप-विनियमन (४) के अंतर्गत देय मूल्य का सभी शेयरधारकों को भुगतान नहीं किया जाता है, तो प्रवर्तक उन सभी शेयरधारकों को दस प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो अनिवार्य असूचीबद्धता ऑफ़र के अंतर्गत अपने शेयर प्रस्तुत करते हैं।

किसी भी पूछताछ के लिए असूचीबद्धता कमेटी, लिस्टिंग डिपार्टमेंट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड 'एक्सचेंज प्लाज़ा', सी-१, ब्लॉक-जी, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई ४०० ०५१ से संपर्क नंबर: +९१ २२ २६५९८१०० (३२०१४), ई-मेल: vgandhi@nse.co.in, delisting@nse.co.in के साथ प्रतिलिपि dl-insp-enf-delisting@nse.co.in पर संपर्क किया जा सकता है।

प्रश्नों को अनिवार्य रूप से उपर्युक्त ईमेल पते पर ईमेल किया जाना चाहिए। किसी भी अनाम प्रश्न को वैध नहीं माना जाएगा।

स्थान: मुंबई
दिनांक: सितंबर २, २०२५

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड के लिए और उसकी ओर से

Nifty50

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. THIS IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE FOR UNITS OR SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.

INITIAL PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES ON THE MAIN BOARD OF THE STOCK EXCHANGES (AS DEFINED IN THE DRHP) IN COMPLIANCE WITH CHAPTER II OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA. (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("SEBI ICDR REGULATIONS")

PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Please scan this QR code to view the DRHP)

Ganesh®
SINCE 1936

GANESH CONSUMER PRODUCTS LIMITED

Our Company was originally incorporated as a private limited company under the name Ganesh Wheat Products Private Limited at Kolkata, West Bengal under the Companies Act, 1956, pursuant to a certificate of incorporation dated March 9, 2000, issued by the RoC. Subsequently, our Company acquired the business of M/s Ganesh Flour Mills, a sole proprietorship firm pursuant to a Business Transfer Agreement. Subsequently, pursuant to a resolution passed by our Shareholder's in the extraordinary general meeting held on December 24, 2010, the name of our Company was changed from Ganesh Wheat Products Private Limited to Ganesh Grains Private Limited, to reflect the principal object and the kind of business activities to be carried out by our Company and consequently, a fresh certificate of incorporation dated January 4, 2011, was issued by the RoC to our Company. Subsequently, our Company was converted from a private limited company to a public limited company, pursuant to a resolution passed by the Shareholder's in the extraordinary general meeting held on January 28, 2011, and the name of our Company was changed to Ganesh Grains Limited, and a fresh certificate of incorporation dated February 5, 2011, was issued to our Company by the RoC. Subsequently, pursuant to a resolution passed by our Shareholder's in the extraordinary general meeting held on July 13, 2024, the name of our Company was changed from Ganesh Grains Limited to Ganesh Consumer Products Limited, to reflect the true nature of Company's business and a fresh certificate of incorporation dated August 12, 2024, was issued by the Registrar of Companies, Central Processing Centre. For further details on the changes in the name and registered office of our Company, see "History and Certain Corporate Matters – Brief history of our Company" on page 251 of the DRHP.

Corporate Identity Number: U15311WB2000PLC091315; **Website:** www.ganeshconsumer.com
Registered Office: 88, Burtolla Street, Kolkata, 700 007, West Bengal, India; **Corporate Office:** Trinity Tower, 83, Topsia Road (South), 3rd Floor, Kolkata, 700 046, West Bengal, India
Contact Person: Narendra Mishra, Company Secretary and Compliance Officer; **Telephone:** +91 336 6336633; **Email:** investors@ganeshconsumer.com

THE PROMOTERS OF OUR COMPANY ARE PURUSHOTTAM DAS MIMANI, MANISH MIMANI, MADHU MIMANI, MANISH MIMANI (HUF) AND SRIVARU AGRO PRIVATE LIMITED

This is in relation to the draft red herring prospectus dated December 23, 2024 **("DRHP")** filed by the Company with the with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") and thereafter with BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited (together with BSE Limited, **"Stock Exchanges")** in connection with the Offer. Our Company has been informed by Manish Mimani, one of our Promoters that share transfer agreements each dated September 1, 2025, has been entered into between Manish Mimani **("Promoter" or "Transferee")**, and India Business Excellence Fund II **("IBEF-II");** and between Transferee and India Business Excellence Fund IIA ("IBEF-IIA" and together with IBEF-II, the **"Investors" or "Transferors")**, the Transferors have agreed for secondary transfers, prior to filing of the RHP, of an aggregate of 360,000 equity shares of face value of ₹10 each to the Transferee (comprising 122,400 equity shares to be transferred by IBEF-II and 237,600 equity shares to be transferred by IBEF-IIA) at an agreed price of ₹87.81 per equity share, for an aggregate consideration of ₹ 31,611,600, representing 0.99% of the pre-Offer equity share capital of the Company on a fully diluted basis (the **"Proposed Secondary Transfers")**. The details of Proposed Secondary Transfers have been provided below:

Name of the transferor	Name of Transferee	Transferee whether connected with the Company, the Promoters/ Promoter Group/the Company's Directors or KMPs, the Subsidiaries, and the Group Companies	Nature of Proposed Secondary Transfers	Number of Equity Shares proposed to be transferred	Transfer price per Equity Share (in ₹)	Number of Equity Shares held post completion of the Proposed Secondary Transfers (% of pre-offer share capital of the Company after the transfer)
India Business Excellence Fund II	Manish Mimani	Yes Manish Mimani is one of the Promoters, Chairperson and Managing Director of the Company.	Cash	122,400	87.81	3,056,724 (8.40%)
India Business Excellence Fund II A				237,600		5,933,646 (16.31%)

Post the abovementioned Proposed Secondary Transfers, the total pre-issued, subscribed and paid-up Equity Share capital of the Company shall consist of 36,373,259 Equity Shares of the Company comprising of (i) 27,382,289 Equity Shares shall be held by the Promoters of the Company constituting 75.28% of the total pre-issued, subscribed and paid-up Equity Share capital of the Company, on a fully diluted basis; and (ii) 8,990,970 Equity Shares shall be held by the public shareholders constituting 24.72% of the total pre-issued, subscribed and paid-up Equity Share capital of the Company, on a fully diluted basis.

Our Company shall suitably update the relevant sections in the RHP and Prospectus to be filed by our Company with the RoC, SEBI and the Stock Exchanges, to reflect the factual position pursuant to the above-mentioned Proposed Secondary Transfers as on the date of the RHP and Prospectus.

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS			REGISTRAR TO THE OFFER
DAM CAPITAL	IIFL CAPITAL	motilal oswal Investment Banking	MUFG MUFG Intime
DAM Capital Advisors Limited Altimus 2202, Level 22, Pandukar Budhkam Marg, Worli, Mumbai - 400018 Maharashtra, India **Telephone:** +91 22 4202 2500 **Email:** ganesh.ipo@damcapital.in **Investor grievance email:** complaint@damcapital.in **Contact person:** Puneet Agnihotri / Chandresh Sharma **Website:** www.damcapital.in **SEBI Registration No.:** MB/INM000011336	**IIFL Capital Services Limited** *(formerly known as IIFL Securities Limited)* 24th Floor, One Lodha Place Senapati Bapat Marg, Lower Parel (W) Mumbai 400 013, Maharashtra, India **Telephone:** +91 22 4646 4728 **Email:** ganeshgrains.ipo@iiflcap.com **Investor grievance email:** ig.ib@iiflcap.com **Contact person:** Amrita Sahney / Pawan Jain **Website:** www.iiflcap.com **SEBI Registration No.:** INM000010940	**Motilal Oswal Investment Advisors Limited^** Motilal Oswal Tower, Rahimtullah, Sayani Road, Opposite Parel ST Depot, Prabhadevi Mumbai, Maharashtra - 400 025 India **Telephone:** +91 22 7193 4380 **Email:** ganeshconsumer.ipo@motilaloswal.com **Website:** www.motilaloswalgroup.com **Investor grievance email:** moiaplredressal@motilaloswal.com **Contact person:** Sukant Goel/ Kunal Thakkar **SEBI Registration No:** INM000011005	**MUFG Intime India Private Limited** *(formerly known as Link Intime India Private Limited)* C-101, 1st Floor, 247 Park, L B S Marg, Vikhroli West Mumbai – 400 083, Maharashtra, India **Telephone:** +91 810 811 4949 **Email:** ganeshconsumer.ipo@in.mpms.mufg.com **Investor grievance email:** ganeshconsumer.ipo@in.mpms.mufg.com **Website:** www.in.mpms.mufg.com **Contact person:** Shanti Gopalkrishnan **SEBI Registration No:** INR000004058

^ *In compliance with the proviso to Regulation 21A and explanation (iii) to Regulation 21A of the SEBI (Merchant Bankers) Regulations, 1992, and Regulation 23(3) of the SEBI ICDR Regulations, Motilal Oswal Investment Advisors Limited will only be involved in the marketing of the Offer on account of being an associate of our Company. Motilal Oswal Investment Advisors Limited has signed the due diligence certificate and has been disclosed as a BRLM for the Offer.*

All capitalised terms used herein and not specifically defined shall have the meaning ascribed to them in the DRHP.

For **GANESH CONSUMER PRODUCTS LIMITED**
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Narendra Mishra
Company Secretary and Compliance Officer

Place : Kolkata, West Bengal
Date : September 01, 2025

GANESH CONSUMER PRODUCTS LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offer of its Equity Shares and has filed the DRHP with SEBI and the Stock Exchanges. The DRHP is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, on the websites of the Stock Exchanges i.e., BSE at www.bseindia.com, NSE at www.nseindia.com, the websites of the BRLMs, i.e. DAM Capital Advisors Limited at www.damcapital.in, IIFL Capital Services Limited (formerly known as IIFL Securities Limited) at www.iiflcap.com, Motilal Oswal Investment Advisors Limited at www.motilaloswalgroup.com and the website of our Company at www.ganeshconsumer.com. Potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, see the section titled ***"Risk Factors"*** on page 33 of the DRHP. Potential investors should not rely on the DRHP filed with SEBI for making any investment decision.

This announcement does not constitute an offer of the Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States, and the Equity Shares may not be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act of 1933 or an exemption from registration. Any public offering of the Equity Shares to be made in the United States will be made by means of a prospectus that may be obtained from the Company and that will contain detailed information about the Company and management, as well as financial statements. However, the Equity Shares are not being offered or sold in the United States.

CONCEPT

More Newspaper and Magazines Telegram Channel join Search https://t.me/Magazines_8890050582 (@Magazines_8890050582)